

हरियाणा सरकार
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
आदेश

श्री किशोरी लाल, शिक्षुता प्लेसमेंट अधिकारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नारनौल को सरकार के पृ० क्रमांक केसी/टीई/103/662/स्थापना-II/9341 दिनांक 28.9.2016 द्वारा निलम्बित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से लम्बित जांच बहाल किया जाता है।

दिनांक 27.10.2016

ए.के. सिंह
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

अशा: क्रमांक केसी/टीई/103/662/प्रशासन-II/11362 दिनांक 28.10.2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजी सचिव/आई०टी०एम०।
3. निजी सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।
4. संयुक्त निदेशक, (तकनीकी)।
5. सहायक निदेशक (अनुशासनिक सैल)।
6. श्री किशोरी लाल, शिक्षुता प्लेसमेंट अधिकारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नारनौल।
7. प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नारनौल।
8. उप-अधीक्षक (ए.सी.आर.), सेवापंजी सहायक (लेखा अनुभाग)
9. नोटल अधिकारी (बिनाग्रीज वेतनकार्ड) पर उम्मीद करने वाले।

अधीक्षक (औ०प्रशि०)
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।